Unauthorised Constructions in DDA Flats

590. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of URBAN AFFARIS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether unauthorised constructions have increased unabated in the DDA flats and Group Housing Societies in Delhi;

(b) if so, whether the Government/ DDA have chalked out any concrete scheme to pull down all illegal constructions; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT AND THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI T.G. VENKATRAMAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) DDA has informed that a comprehensive system of pulling down illegal construction within DDA's jurisdiction is being followed by them. First, inspection of site is made and if unauthorised construction is found/detected, show cause notice is issued immediately to stop/remove the unauthorised construction. If the party fails to take action, then after serving orders for demolition of building under Section 30(1) of D.D. Act, 1957, demolition is carried out with the assistance of local Police.

गुजरात में शहरों का विकास

591. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस वर्ष गुजरात के विभिन्न शहरों के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) क्या गुजरात सरकार ने इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया जा रहा है;

(ग) क्या विश्व बैंक इस कार्य के लिए कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो उसका परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) और (ख) गुजरात सहित राज्य सरकारों को छोटे तथा मझौले शहरों के समेकित विकास की योजना (आई डी एस एम टी) के तहत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस वर्ष के दौरान अब तक अवस्थापना विकास हेतु आई डी एस एम टी के तहत कोई नई परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, बोधाड़ शहर में चल रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 31.00 लाख रुपये जारी किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं।

मध्य प्रदेश में शहरों का विकास और सुधार

592. **श्री राघवजी:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के उन शहरों के नाम क्या हैं जिनके विकास अथवा सुधार के लिए 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के वर्षों के दौरान धनराशि उपलब्ध कराई गई थी और प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी-कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई थी;

(ख) वर्ष 1997-98 की शेष अवधि के लिए किन-किन शहरों को कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की जानी है;

(ग) क्या उपरोक्त तीन वर्षों में उपलब्ध कराई गई पूरी धनराशि खर्च कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां धनराशि खर्च नहीं की गई तथा इस प्रकार खर्च न की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री टी०जी० वेंकटरामन): (क) छोटे और मझौले शहरों के एककीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम (आई डी एस एम टी) के तहत वर्ष 1995-96, 1996-97, तथा 1997-98 के दौरान मध्य प्रदेश के उन शहरों/कस्बों के नाम जिनके विकास/ सुधार के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई तथा दी गई राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

(ख) छोटे और मझौले शहरों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के दिशानिर्देशों के अन्तर्गत, राज्य स्तर की अनुमोदन समितियों को शहरों के लिए परियोजनाएं स्वीकृत करने का अधिकार है तथा वे केन्द्रीय